न्यायालय उपायुक्त,पाकुड़

अधिहरण वाद सं0–03 / 2015–16

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़।

बनाम्

विजय यादव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

आदेश

30.08.2017
13.09.2017

यह अधिहरण वाद अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 164 / आ0, दिनांक–03.03.2016 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर प्रारंभ किया गया है।

प्रश्नगत वाद जब्त कुल 80 (अस्सी) बोरा लगभग 40 (चालीस) क्वींटल गेहूँ एवं 37 (सैंतीस) बोरा लगभग 18.50 क्वींटल चावल को अधिहरण करने का प्रस्ताव है। प्राथमिकी अभियुक्त श्री विजय यादव, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, पाकुड़ शहरी क्षेत्र अनुज्ञप्ति संख्या–25 / 1995 से जब्त खाद्यान्न को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत अधिहरण करने के संबंध में उनसे कारणपृच्छा की मांग की गई। उनके द्वारा वकालतन के साथ कारणपृच्छा दाखिल किया गया है। कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है कि जब्त खाद्यान्न उनके जन वितरण प्रणाली के दुकान से जब्त नहीं किया गया है, बल्कि जब्त खाद्यान्न सामग्री कालिकापुर के हेराज शेख के भाड़ा घर के परिसर से बरामद हुआ है। हेराज शेख अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ से जब्त खाद्य सामग्री को मुक्त करने हेतु सम्पर्क भी किये थे। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा उसे अस्वीकृत किया गया। हारेज शेख द्वारा अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के समक्ष भी खाद्यान्न को मुक्त करने हेतु आवेदन दिया गया है।

उनका यह भी कहना है कि दिनांक–17.06.2016 को हेराज शेख, पिता–स्व0 शफी शेख, सा0–कालिकापुर, थाना– पाकुड़(नगर), जिला–पाकुड़ के द्वारा जब्त खाद्यान्न को मुक्त (Release) करने के संबंध में आवेदन दिया गया है कि आवेदक खाद्य सामग्री का व्यवसायी है। अगल–बगल के किसान से खाद्य सामग्री खरीदकर खरीदकर्ता को विक्रय करते है। इस व्यवसाय के निमित्त हेराज शेख के द्वारा श्री अरूण कुमार यादव, मुहल्ला बलिहारपुर, पाकुड़ के पाकुड़ धुलियान पी0डब्ल्यू0 पथ पर स्थित मकान भाड़ा पर लिया गया है। दिनांक–27.02.2016 को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा मकान परिसर से अवैध रूप से खाद्यान्न को जब्त किया गया है। भाड़ा के मकान से विजय यादव, जन वितरण अनुज्ञप्तिधारी का कोई तालुक नहीं है एवं जब्त खाद्यान्न आवश्यक वस्तु के अन्तर्गत नहीं है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का सुक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि श्री अरूण कुमार यादव पे0 स्व0 रघुनाथ प्रसाद यादव, सा0–बलिहारपुर, थाना–पाकुड़ (नगर) के परिसर से दिनांक–27.02.2016 को 17.20 बजे एवं 17.30 बजे निम्नलिखित सामाग्रियाँ बरामद हुआ, जिसे अ0नि0 श्री हरदुगन होरो, नगर थाना पाकुड़ द्वारा जप्ती सूची तैयार करते हुए जप्त किया गया।

(1) एक ठेला में 10 (दस) बोरा चावल प्लास्टिक के बोरा में मशीन सिलाई किया हुआ, प्रत्येक बोरा का वजन करीब 50 किलोग्राम।

(2) जुट का बोरा में 80 बोरा गेहूँ प्रत्येक बोरा का वजन करीब 50

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की क्रम संख्या और तारीख
1	2	1

किलोग्राम का मशीन सिलाई किया हुआ।
(3) बोरा सिलाई करने वाली मशीन–01 (एक)
(4) डिजीटल वेट मशीन–01(एक)
(5) जुट का खाली बोरा 86 (छियासी) एफ0सी0आई0 का टैग लगा हुआ
(6) प्लास्टिक का खाली बोरा 109 (एकसौ नौ) पीस
(7) प्लास्टिक का बोरा में 27 (सताईस) बोरा चावल मशीन सिलाई किया हुआ प्रत्येक बोरा का वजन करीब 50 किलोग्राम।
(8) एफ0सी0आई0 का टेग 50 (पचास) पीस
(9) चावल एवं गेहूँ का भण्डार पंजी–01 जिसमें कुल पेज 1 से 25 तक तथा पेज नं0 1 से 3 तक चावल एवं गेहूँ से संबंधित लिखा हुआ।
(10) चावल, गेहूँ एवं चीनी की विक्री पंजी–01 जिसमें कुल पेज 1 से 32 तक तथा पेज नं0–1 से 6 तक चावल, गेहूँ एवं चीनी से संबंधित लिखा हुआ।

हेराज शेख के द्वारा जप्ती के समय उपस्थित नहीं होना तथा छः दिनों के बाद दिनांक–03.03.2016 को थाना प्रभारी (नगर) पाकुड़ को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा नाजायज रूप से गेहूँ एवं चावल को जप्त करने की सूचना देकर जब्त खाद्यान्न को लौटाने का अनुरोध पत्र दाखिल किया गया। साथ ही इस संबंध में दिनांक–04.03.16 को अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में भी जप्त खाद्यान्न को मुक्त करने संबंधी एक वाद भी दायर किया गया। इतना ही नहीं उनके द्वारा श्री अरूण कुमार यादव से 900 (नौ सौ) रू0 प्रति माह पर मकान किराया पर लेकर गल्ला खरीद बिक्री करने हेतु भण्डारित करने की बात बतायी गयी।

लेकिन अपने लिखित आवेदन में उनके द्वारा भंडार में कितना बोरा किस किश्म का खाद्यान्न भंडारित रहने, किससे, किस दर पर तथा किन–किन तिथियों को क्रय कर बिक्री हेतु रखा गया था तथा कब से यह रोजगार प्रारंभ किया गया आदि के संबंध में न ही कोई ब्यौरा प्रस्तुत किया गया और न ही तत्संबंधी कोई अभिलेखीय साक्ष्य (Documentary evidence) ही दाखिल किया गया। उक्त गल्ला के क्रय के लिये कहां से उन्होंने पूंजी जमा किया तथा विक्रेता को किस बैंक खाता से कितनी–कितनी राशि का किस–किस तिथियों को नगद या चेक के माध्यम से भुगतान किया, इस संबंध में भी कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यापार के क्रम में क्रय की गयी गल्ला की बिक्री किन–किन लोगों को किन–किन तिथियों को किया गया उसके संबंध में भी न ही कोई सूचना उपलब्ध कराया और न ही कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया। उनके द्वारा जप्त की गयी बोरा सिलाई करने वाला मशीन, F.C.I का टैग, चावल एवं गेहूँ का भंडार पंजी, चावल, गेहूँ एवं चीनी की बिक्री पंजी आदि जिसमें जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं का नाम अंकित है – के संबंध में भी कोई बात अंकित नहीं कर तथ्य को छुपाया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों, जप्ती सूची, F.I.R की प्रति एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ से प्राप्त अधिहरण संबंधी प्रस्ताव की गहन परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि श्री विजय यादव, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बिकने वाले अति

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अनुदानित खाद्यान्न को बोरा बदली कर F.C.I का Address Tag हटाकर अधिक मुनाफाखोरी की मंशा से कालाबाजारी करने के लिये पाकुड़ नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी काण्ड संख्या–60/16, दिनांक–29.02.16 u/s-406/409/414/420/120(B)/34/I.P.C एवं 7EC के पश्चात् एक साजिश रचकर हैराज शेख को खड़ा कर एक नया कहानी गढ़ा गया जो After Thought है। अतः श्री हेराज शेख के दावे को तथ्यहीन, आधारहीन, असत्य तथा After thought पाते हुए अस्वीकृत करते हुए आवश्यक वस्तु अनिनियम की धारा 6A में प्रदत्त शक्ति के तहत जप्त खाद्यान्न 80 (अस्सी) बोरा में लगभग 40 क्वि0 गेहूँ तथा 37(सैंतीस) बोरा में लगभग 18.50 क्वि0 चावल को राज्यसात् करने का आदेश देता हूँ। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ राज्यसात् किये गये खाद्यान्न को बलिहारपुर मुहल्ला के गरीबी रेखा के नीचे के उन परिवारों को, जो खाद्य सुरक्षा के तहत लाभ पाने के योग्य है, लेकिन जिला का लक्ष्य रिक्त नहीं रहने के कारण उन परिवारों को अति अनुदानित दर पर मिलने वाली खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है, को अपने समक्ष 20–20 किलोग्राम गेहूँ एवं 15–15 किलोग्राम चावल का वितरण गेहूँ 2 (दो) रूपये प्रति किलोग्राम तथा चावल 3 (तीन) रूपये प्रति किलोग्राम की दर से कराते हुए प्राप्त राशि को उपयुक्त शीर्ष में एक सप्ताह के अन्दर कोषागार में जमा करावें। आदेश से सभी संबद्ध पक्षों को अवगत कराया जाय। लेखापित एवं संशोधित। 13/9/17 उ पा यु क्त, पाकुड़। 13/9/17 उ पा यु क्त, पाकुड़।	50/DB 25/9/17

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.07 14:36:38 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with CamScanner